जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

> समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
> सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/266 दिनांक : 8/5/13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च, 2013 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस स्टडीज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बेसिक बी.एस-सी. (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष एवं एम.एस-सी. (नर्सिंग) द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्ते एवं प्रतिबंध :-

1. आई.एन.सी. नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार परिनियम 28(17) के अन्तर्गत एक प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल, दो एसोसिएट प्रोफेसर एवं तीन असिस्टेन्ट प्रोफेसर की नियुक्तियां महाविद्यालय द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र कराई जावे।
2. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं क्रीड़ाधिकारी की नियुक्तियां महाविद्यालय द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र कराई जावे।
3. विश्वविद्यालय परिनियमानुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां महाविद्यालय द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र कराई जावें।
4. उपरोक्त दोनों पाठ्यक्र के संचालन हेतु महाविद्यालय के पास आई.एन.सी. के मापदण्डों के अनुसार प्रयोगशालाओं का अभाव है। उपरोक्त पाठ्यक्रम महाविद्यालय में विगत कई वर्षों से चल रहे हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि महाविद्यालय आई.एन.सी. के मापदण्डों के अनुसार प्रयोगशालाओं को विकसित कर एक माह में सूचित करें।
5. परिनियम 27, 28 का महाविद्यालय द्वारा पालन किया जाये।
6. महाविद्यालय को यह अंतिम अवसर दिया जाये।

नोट :-

महाविद्यालय दिनांक 31.05.2013 तक परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तयां प्राचार्य सहित की जावें। उक्त शर्त की पूर्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को एक शपथ पत्र शर्तों की पूर्ति के दस्तावेजों सहित विश्वविद्यालय में जमा किया जावें अन्यथा सत्र 2012-13 की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जावेगा।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस स्टडीज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)